परिपत्र सं. 13/2025

फा.सं.275/09/2025-आईटी (बजट)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 19 सितंबर, 2025

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत ब्याज के अधित्यजन के लिए आदेश कतिपय मामलों में मांग की देर से भुगतान के कारण धारा 220(2) के तहत देय - के संबंध में

आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 115खकग (1क) के उपबंध अधिनियम के अध्याय XII के अन्य उपबंधों के अधीन हैं। इसलिए, अधिनियम के अध्याय XII के विभिन्न उपबंधों के तहत विनिर्दिष्ट विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय को अधिनियम की धारा 115खकग (1क) के तहत कर प्रभार्य निर्धारित करते समय शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा, धारा 87क के उपबंध का खंड (ख) अधिनियम की धारा 115 खकग (1क) के तहत कर प्रभार्य आय पर लागू होता है।

2. यह देखा गया है कि कतिपय मामलों में, विवरणी पहले ही प्रसंस्कृत हो चुकी थी और विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय पर अधिनियम की धारा 87क के तहत छूट दी गई थी। ऐसे मामलों में, ऐसी छूट को अस्वीकार करने के लिए सुधार किए जाने चाहिए, जो गलत तरीके से स्वीकार की गई है। ऐसे सुधारों के परिणामस्वरूप

मांगें उठाई जाएंगी। यदि उठाई गई ऐसी मांगों के भुगतान में देरी होती है, तो वे अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ब्याज वसूलने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. अधिनियम की धारा 220(2) के तहत देय ब्याज के कारण ऐसे करदाताओं को होने वाली वास्तविक कठिनाई को कम करने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड'), अधिनियम की धारा 119 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देता है कि ऐसे मामलों में जहां उठाई गई मांगों का भुगतान 31.12.2025 को या उससे पहले किया जाता है, अधिनियम की धारा 220(2) के तहत देय ब्याज अधित्यजित कर दिया जाएगा।

4. ऐसे मामलों में, यदि कोई करदाता 31.12.2025 को या उससे पहले सीपीसी द्वारा पारित सुधार आदेश के परिणामस्वरूप उठाई गई मांग का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अधिनियम की धारा 220 की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद वाले दिन से अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ब्याज लगाया जाएगा।

5. हिंदी संस्करण बाद में दिया जाएगा।

(राजेन्द्र कुमार मीना)
अवर सचिव, आईटी-बजट
सीबीडीटी

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष एवं सदस्य, सीबीडीटी

2. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक

3. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

4. आयकर आयुक्त (मीडिया एवं टीपी) एवं आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी, नई दिल्ली

5. एडीजी (पीआर, पी एवं पी) को आवश्यक कार्रवाई हेतु

6. संयुक्त आयकर आयुक्त, डाटाबेस प्रकोष्ठ, आदेश को वेबसाइट www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोड करने के अनुरोध सहित

7. वेब प्रबंधक, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) को विभागीय वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड करने के अनुरोध सहित

8. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली

9. सभी वाणिज्य मंडल

10. अनुवाद हेतु हिंदी प्रकोष्ठ

11. गार्ड फ़ाइल

(राजेंद्र कुमार मीणा)
अवर सचिव, आईटी-बजट
सीबीडीटी